कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/माध्य/मा–स/एस.एम.सी./2016–17/166 दिनांक : 21 .06.2017

1. समस्त मण्डल उप निदेशक,
   माध्यमिक शिक्षा
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
   माध्यमिक – प्रथम/द्वितीय

विषय :– विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC) तथा विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) को प्राप्त सहयोग राशि को आयकर अधिनियम 80जी के तहत छूट प्राप्त करने हेतु पंजीयन, आयकर विभाग में पंजीयन करवाने बाबत।

प्रसंग :– शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर का अ.शा. पत्रांक : प. 21 (16) प्राशि/आयो./SMC/2016 जयपुर, दिनांक : 15.06.2017 एवं संयुक्त शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग, जयपुर का पत्रांक: प. 21 (16) प्राशि/आयो./SMC/2016 जयपुर, दिनांक: 01.06.2017 व पत्रांक : प. 21 (16) प्राशि/आयो./SMC/2016 पार्ट जयपुर, दिनांक : 12.06.17 तथा विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक : 03.11.16

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि विभाग द्वारा सभी राजकीय विद्यालय में विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC) तथा विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) गठित कर पंजीयन सहकारी समिति अधिनियम 1958 के अन्तर्गत करने के निर्देश जारी किये गये थे। उक्त निर्देशों की पालना में अधिकाश राजकीय विद्यालयों में उक्त समितियों का पंजीयन हो चुका है।

विद्यालयों के विकास हेतु दानदाताओं एवं अन्य संस्थाओं द्वारा चन्दा आदि प्राप्त किया जाता है। इस दान राशि पर आयकर अधिनियम–1961 की धारा 80जी के तहत छुट प्राप्त करने हेतु सभी विद्यालय विकास समितियों (SMC) तथा विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समितियों (SDMC) का आयकर अधिनियम की धारा 80जी के तहत आयकर विभाग में पंजीयन कराया जाना आवश्यक है। इस हेतु आयकर विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश की प्रति परिशिष्ट–A,स्थाई खाता संख्या (PAN) जारी करने हेतु आवेदन पत्र फार्म संख्या 49– A परिशिष्ट–B, फार्म संख्या–10–AApplication Form registration of charitable of or religious trust of institution under section 12-A (a) of the income tax Act, 1961-Annexure-c, Form no. 10G-Application for grant of approval or continuance there of to institution or fund under section 80G (5) (VI) of the Income-Tax Act, 1961 -Annexure-D निर्धारित है।

विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC) तथा विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) को आयकर अधिनियम–1961 की धारा 80जी (5)(6) के अन्तर्गत छूट प्राप्त करने हेतु सैक्शन 12 ए के अन्तर्गत आयकर विभाग में पंजीयन जिन विद्यालयों द्वारा आज दिनांक तक नहीं करवाया है, पंजीयन करवाने हेतु तत्काल निम्नांनुसार आवश्यक कार्यवाही करावें :–

4. जिन विद्यालयों में विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC) तथा विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) का सहकारिता विभाग में पंजीयन नहीं हुआ है। तो उन विद्यालयों में तत्काल समिति का पंजीयन सहकारीता विभाग में करवाया जावे।

कार्यालय का पता :– निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,बीकानेर ☎0151–2544043
Email : ad.secondary.dse@rajasthan.gov.in
www.rajteachers.com

5. विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC) तथा विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) को आयकर अधिनियम–1961 की धारा 80 जी (5) (6) के अन्तर्गत छूट प्राप्त करने हेतु सैक्शन 12 एके अन्तर्गत सभी विद्यालय, विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC) तथा विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC)का पंजीयन आयकर विभाग में करावें।

6. सभी विद्यालयों में विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC) तथा विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) की कार्यकारणी की बैठक आयोजित कर समिति के किसी एक पदाधिकारियों को निम्नानुसार कार्य करने हेतु अधिकृत किया जावे :–

   d. विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC) तथा विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) विकास कोष हेतु समिति का बैंक खाता खुलवाने हेतु।

   e. आयकर कार्यालय में पेन (PAN) कार्ड आवेदन प्रस्तुत करने हेतु।

   f. विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC) तथा विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) को आयकर अधिनियम–1961 की धारा 80 जी (5) (6) के अन्तर्गत छूट प्राप्त करने हेतु सैक्शन 12 ए अन्तर्गत सभी विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC) तथा विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) का पंजीयन आयजकर विभाग में 80 जी में छूट बाबत आयकर (छूट), आयकर कार्यालय जयपुर में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु।

अतः आपके अधीन संचालित ऐसे राजकीय विद्यालय जिनमें अभी तक विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC) तथा विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) का पंजीयन नहीं हुआ है, उन्हें तत्काल पंजीयक, सहकारी समितियां, सहकारिता विभाग में पंजीयन करवाने हेतु सभी संस्था प्रधानों को निर्देशित करें। इसके पश्चात् आयकर अधिनियम–1961 की धारा 80 जी एवं 12 ए के तहत छूट प्राप्त करने हेतु उपरोक्तानुसार सभी राजकीय विद्यालयों में कार्यवाही करवाना सुनिश्चित कर सूचना संयुक्त शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग, जयपुर को भिजवाते हुए अद्योहस्ताक्षकर्ता को सूचित करे।

(नथमल, डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग, जयपुर को उनके प्रासंगिक पत्र के क्रम में।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, (स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान जयपुर।
4. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं समस्त राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के ई–मेल पते पर प्रेषित करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय का पता :– निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,बीकानेर ☎0151–2544043
Email : ad.secondary.dse@rajasthan.gov.in
www.rajteachers.com